ए.

पंजाब राज्य

वी.

बालजिंदर सिंह और ए. एन. आर.

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1565-66) 15 अक्टूबर, 2019

बी.

[उदय उमेश ललित**,** इंदु मल्होत्रा और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे।**]**

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985।50, 15– व्यक्तिगत खोज यू/एस के संबंध में अतिक्रमण।50, यदि अनुसंधान के दौरान बरामद अन्य सामग्री/वस्तु के गुणात्मक मूल्य को प्रभावित करता है-अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रतिवादी-आरोपी (वाहन का चालक और उसके साथ वाला व्यक्ति) वाहन में पड़े सात थैलों में प्रतिबंधित सामग्री ले जा रहे थे-उनकी व्यक्तिगत तलाशी से प्रतिबंधित सामग्री की कोई बरामदगी नहीं हुई-निचली अदालत ने उन्हें यू/एस के तहत दोषी ठहराया।15 और जुर्माने के साथ 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई-उच्च न्यायालय इस आधार पर कि एस का उल्लंघन किया गया था।50, चूंकि अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं की गई थी, इसलिए दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया गया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःएस. 50 "व्यक्तिगत खोज" से संबंधित मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है और विभिन्न सुरक्षा उपायों को निर्धारित करता है-एस में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए की गई व्यक्तिगत खोज के दौरान व्यक्ति से जब्त की गई एक अवैध वस्तु।50 अपने आप में कॉन्ट्रे-बैंड के गैरकानूनी कब्जे के प्रमाण के स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है-हालाँकि, एस का जनादेश।50 "व्यक्तिगत तलाशी" तक सीमित है और वाहन या पात्र या परिसर की तलाशी तक सीमित नहीं है-तत्काल मामले में, अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी का परिणाम किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी में नहीं हुआ-लेकिन, वाहन की तलाशी और उसके अनुसार प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी साबित हुई, केवल इसलिए कि धाराओं का पालन नहीं किया गया था।50 जहां तक "व्यक्तिगत तलाशी" का संबंध है, वाहन की तलाशी से वसूली के प्रभाव को अमान्य करने के लिए कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है-इसके अलावा, बलदेव सिंह के मामले में अपने फैसले के पैरा 57 में संविधान पीठ द्वारा दर्ज

निष्कर्ष (3) में कहा गया है कि दोषसिद्धि केवल व्यक्तिगत तलाशी से बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर नहीं हो सकती है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

520 ए.

521

पंजाब राज्य बनाम बालजिंदर सिंह और ए. एन. आर.

यू/एस आवश्यकताओं का उल्लंघन।50 लेकिन, यदि अभिलेख पर अन्य साक्ष्य हैं, तो ऐसी सामग्री को निश्चित रूप से देखा जा सकता है-क्योंकि वर्तमान मामले में, 34 किलोग्राम वजन वाले खसखस के भूसे के सात थैले वाहन से पाए गए थे, जिसे आरोपी अपने साथ अन्य अभियुक्तों के साथ चला रहा था, उनकी उपस्थिति और प्रतिबंधित सामग्री का कब्जा पूरी तरह से साबित हो गया था-उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए अधिनिर्णय को दरकिनार कर दिया गया-निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के आदेश को बहाल कर दिया गया-जुर्माने के भुगतान को बनाए रखते हुए सजा को घटाकर 10 साल कर दिया गया और डिफ़ॉल्ट सजा को अपरिवर्तित रखा गया।

बी.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

सी.

पकड़नाः**1.1** नार्कोटिक एंड ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट**, 1985** की धारा **50** किसी व्यक्ति को "व्यक्तिगत खोज" से संबंधित मामलों में सुरक्षा प्रदान करती है और विभिन्न सुरक्षा उपायों को निर्धारित करती है।यह केवल उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति और कड़ाई से पालन करने पर है कि किसी व्यक्ति की "व्यक्तिगत खोज" के अनुसार बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ पर व्यक्ति के खिलाफ एक परिस्थिति के रूप में भरोसा किया जा सकता है।अधिनियम की धारा **50** में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए की गई व्यक्तिगत तलाशी के दौरान व्यक्ति से जब्त की गई अवैध वस्तु का उपयोग अपने आप में

गैरकानूनी कब्जे के प्रमाण के स्वीकार्य सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता है।[पारस **12,14] [526-**जी**; 530-**एच**; 531-**ए**]**

डी.

ई.

1.2 अधिनियम की धारा **50** का अधिदेश **"**व्यक्तिगत तलाशी**"** तक सीमित है और किसी वाहन या पात्र या परिसर की तलाशी के लिए नहीं है।संविधान पीठ द्वारा बलदेव सिंह में अपने फैसले के पैरा **57** में दर्ज किए गए निष्कर्ष **(3)** में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोषसिद्धि अधिनियम की धारा **50** के तहत आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत तलाशी से बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर **"**केवल**"** नहीं हो सकती है**,** लेकिन यदि रिकॉर्ड पर अन्य सबूत हैं**,** तो ऐसी सामग्री पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है।तत्काल मामले में**,** अभियुक्त की व्यक्तिगत खोज के परिणामस्वरूप कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ।भले ही ऐसी कोई वसूली हुई हो**,** लेकिन अधिनियम की धारा **50** की आवश्यकताओं के अनुपालन के अभाव के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन वाहन की तलाशी और उसके अनुसार प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी केवल इसलिए साबित हुई क्योंकि वहाँ था

एफ.

जी.

एच.

ए.

जहां तक **"**व्यक्तिगत तलाशी**"** का संबंध है**,** अधिनियम की धारा **50** का पालन न करने पर कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है ताकि वाहन की तलाशी से वसूली के प्रभाव को अमान्य किया जा सके।ऐसा कोई भी विचार सीधे निष्कर्ष **(3)** में होगा जैसा कि ऊपर कहा गया है। दिलीप के मामले में उक्त फैसले में निर्णय सही नहीं है और बलदेव सिंह और अन्य फैसलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ है।चूंकि वर्तमान मामले में**, 34** किलोग्राम वजन वाले खसखस के भूसे के सात थैले वाहन से पाए गए थे**,** जिसे आरोपी अपने साथ अन्य अभियुक्तों के साथ चला रहा था**,** इसलिए उनकी उपस्थिति और प्रतिबंधित सामग्री पूरी तरह से साबित हो गई थी।इन परिस्थितियों में**,** उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया बरी होना सही नहीं था।इसलिए**,** उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को दरकिनार कर दिया जाता है।विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के आदेश को बहाल किया जाता है और अभियुक्त व्यक्तियों को अधिनियम की धारा **50** के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है। हालाँकि**,** उनकी मूल सजा को **12** साल से घटाकर **10** साल कर दिया गया है**,** जबकि सजा की अन्य घटनाओं जैसे कि जुर्माने का भुगतान और डिफ़ॉल्ट सजा

को अपरिवर्तित रखा गया है।दोनों अभियुक्तों को शेष सजा भुगतने के लिए संबंधित पुलिस थाने के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए **15** नवंबर**, 2019** तक का समय दिया गया है। यदि अभियुक्त उक्त अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने में विफल रहते हैं**,** तो उन्हें तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा हिरासत में ले लिया जाएगा।इस फैसले की एक प्रति अनुपालन के लिए संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी।उस ओर से अनुपालन की सूचना इस न्यायालय को **01.12.2019** पर या उससे पहले दी जाएगी। **[**पारस **16-21] [532-B-H; 533-A-C]**

बी.

सी.

डी.

ई.

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह **(1999) 6** एससीसी **172:**

एफ.

[1999] 3 एस**.** सी**.** आर**. 977-**अनुसरण किया गया।

विजयसिंह चंदुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य **(2011)**

1 एससीसी **609:[2010] 13** एस**.** सी**.** आर**. 255;** अजमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य **(2010) 3** एस**.** सी**.** सी**. 746:[2010] 2** एससीआर **785-**पर निर्भर।

जी.

दिलीप एंड अन्र बनाम स्टेट ऑफ एमपी **(2007) 1** एस**.** सी**.** सी**. 450:[2006]**

9 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 390-**सही नहीं माना गया।

एच.

[2006] 9 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 390** को सही नहीं माना गया पैरा **9 [1999] 3** एस**.** सी**.** आर**. 977** का पालन किया गया

पैरा **13**

[2010] 13 एससीआर **255**

उस पर भरोसा करें

पैरा **13**

बी.

[2010] 2 एससीआर **785**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2019 की आपराधिक अपील संख्या 1565-1566।

2011 के सी. आर. ए.-डी.-917-डी. बी. और 2011 के सी. आर. ए.-डी.-923-डी. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 22.01.2019 के निर्णय और आदेश से।

सी.

सुश्री जसप्रित गोगिया, सुश्री तानुप्रिया, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।नरेश दिलावरी, महेश ठाकुर, सुश्री शेफाली चौधरी, सुश्री विपाशा सिंह, सुश्री पल्लवी सिंह, सुश्री वृति गुजराल, जी. बालाजी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित**,** जे।

1.अनुमति प्रदान की गई।

ई.

2. ये अपीलें उच्च न्यायालय 2 के निर्णय 1 से उत्पन्न होती हैं, जिसमें वर्तमान प्रत्यर्थीगण, अर्थात्, बलजिंदर सिंह और खुशी खान के खिलाफ निचली अदालत द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

3. उच्च न्यायालय के निर्णय में अभियोजन पक्ष का मामला निम्नानुसार था:

एफ.

“3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि एएसआई राकेश कुमार गश्त ड्यूटी के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ सरहिंद बाईपास, राजपुरा में मौजूद थे।सरवन सिंह का बेटा लछमन सिंह मौके पर आया।जब राकेश कुमार लक्ष्मण सिंह से बात कर रहे

थे, तो पंजीकरण संख्या वाला एक क्वालीस। पीबी-13-डी-7000 को अंबाला की ओर से आते देखा गया।पुलिस दल को देखकर वाहन के चालक ने कोशिश की

जी.

1 निर्णय और आदेश डी. टी.22.1.19 सी. आर. ए.-डी.-917-डी. बी./2011 और सी. आर. ए.-डी.-923-डी. बी./2011 में 2 चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

एच.

524

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

ए.

गाड़ी को पलट दें।संदेह होने पर वाहन को रोक दिया गया।ड्राइवर के साथ एक महिला बैठी थी।पूछताछ में चालक और यात्री ने अपनी पहचान का खुलासा किया।एएसआई राकेश कुमार को संदेह था कि वे वाहन में पड़े थैलों में कुछ प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे हैं। वह उन्हें ढूंढना चाहता था।उन्होंने अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने के उनके अधिकार से अवगत कराया।हालांकि, आरोपी ने उस पर भरोसा किया।अभियुक्त के संयुक्त सहमति बयान को लिखित में कम कर दिया गया था।तलाशी लेने पर खसखस से भरे 7 थैले बरामद किए गए।प्रत्येक थैले से 250 ग्राम के दो नमूनों को अलग किया गया और प्रत्येक थैले के बचे हुए खसखस का वजन 34 किलोग्राम था। सभी नमूना पार्सल और थोक पार्सल को 'आर. के.' नमूना मुहर वाली मुहरों के साथ सील कर दिया गया था और उपयोग के बाद मुहर एच. सी. मालविंदर सिंह को सौंप दी गई थी।मामले की संपत्ति को कब्जे में ले लिया गया।रुका को पुलिस स्टेशन भेजा गया, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।मामले की संपत्ति मलखाने में जमा की गई थी। रासायनिक रिपोर्ट मिलने पर और सभी कोडल औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया।"

बी.

सी.

डी.

4. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के अनुसार, वाहन के चालक, आरोपी बलजिंदर सिंह और चालक के साथ आई खुशी खान, मादक पदार्थ और मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराधों के दोषी थे।जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में बताया गया है, सात थैलों में पाई गई वर्जित सामग्री में खसखस था।यह भी रिकॉर्ड की बात है कि दोनों

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद उनकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई थी, जिससे प्रतिबंधित पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई।5. अभियोजन पक्ष के मामले को न्यायाधीश, विशेष अदालत, पटियाला द्वारा सत्र मामले No.IIT/17.11.2009/11 में स्वीकार कर लिया गया था। अपने दिनांक आई. डी. 1 के फैसले द्वारा, निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उपरोक्त दो आरोपी अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध के दोषी थे और उन्हें 12 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जिसकी चूक में, उन्हें दो साल के लिए और कठोर कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया।

ई.

एफ.

जी.

6. अभियुक्त द्वारा दायर अपीलों में, उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त की व्यक्तिगत खोज नहीं की गई थी

एच.

525

पंजाब राज्य बनाम बालजिंदर सिंह और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष और इस प्रकार अधिनियम की धारा 50 का पूर्ण उल्लंघन किया गया था। उस हिसाब से लाभ देते हुए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि और सजा के आदेश को दरकिनार कर दिया और दोनों अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी कर दिया।

7. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री जसप्रित गोगिया ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि वाहन की तलाशी के परिणामस्वरूप प्रत्येक थैले में 34 किलोग्राम पोस्त के भूसे के सात थैले बरामद हुए थे।उसके प्रस्तुतिकरण में, यद्यपि अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी के संबंध में धारा 50 की आवश्यकता का उल्लंघन हो सकता है, वाहन से सामग्री की बरामदगी का तथ्य एक स्वतंत्र कारक था जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बी.

सी.

8. अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश दिलावरी और सुश्री पल्लवी सिंह ने हालांकि कहा कि धारा 50 का पालन न करने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को बरी कर दिया जाना चाहिए और इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही था।

डी.

9. विद्वान अधिवक्ता सुश्री पल्लवी सिंह ने भी इस निर्णय पर भरोसा किया

दिलीप एंड अन्र बनाम एम. पी. 3 राज्य में इस न्यायालय का यह प्रस्तुत करने के लिए कि एक बार वहाँ

यदि धारा 50 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है, तो लाभ अभियुक्त के पक्ष में दिया जाना चाहिए।

ई.

10. इस मामले में जो सवाल उठता है वह यह हैः- यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित पदार्थ वाले वाहन के कब्जे में पाया जाता है, तो उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली जाती है, जो अधिनियम की धारा 50 के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकती है; लेकिन

एफ.

वाहन की खोज के परिणामस्वरूप प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी होती है, जो स्वतंत्र रूप से साबित होती है;

क्या वाहन की तलाशी में पाई गई सामग्री के संबंध में भी अभियुक्त अधिनियम की धारा 50 का पालन न करने के आधार पर बरी होने का लाभ पाने का हकदार होगा?

जी.

11. सवाल से निपटने से पहले, हम अधिनियम की धारा 50 निकाल सकते हैंः

“50. जिन शर्तों के तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी।

3 [(2007) 1 एस. सी. सी. 450]

एच.

(1) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला होता है, तो वह, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

बी.

(2) यदि ऐसी माँग की जाती है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित अधिकारी या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ला सकता।

(3) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, यदि वह तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं देखता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत आरोपमुक्त कर देगा, लेकिन अन्यथा यह निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए।

सी.

(4) एक महिला के अलावा किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी।(5) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति को किसी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज के साथ अलग होने की संभावना के बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास तलाशी के लिए ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के तहत प्रदान किए गए व्यक्ति की तलाशी के लिए आगे बढ़ सकता है।

डी.

ई.

(6) उप-धारा (5) के तहत तलाशी लेने के बाद, अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को दर्ज करेगा जिसके कारण ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी और बयालीस घंटे के भीतर उसकी एक प्रति अपने तत्काल अधिकारी वरिष्ठ को भेजेगा।"

एफ.

12. अधिनियम की धारा 50 किसी व्यक्ति को "व्यक्तिगत खोज" से संबंधित मामलों में सुरक्षा प्रदान करती है और विभिन्न सुरक्षा उपायों को निर्धारित करती है।यह केवल उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति और कड़ाई से पालन करने पर है कि किसी व्यक्ति की "व्यक्तिगत खोज" के अनुसार बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ पर व्यक्ति के खिलाफ एक परिस्थिति के रूप में भरोसा किया जा सकता है।

जी.

13. इस न्यायालय के कुछ निर्णयों में इस बिंदु पर विकसित कानून पर अब विचार किया जा सकता है।

एच.

पंजाब राज्य बनाम बालजिंदर सिंह और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

ए.

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह 4 मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ इस सवाल पर विचार किया कि धारा 50 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में इसका क्या परिणाम होगा।निर्णय के पैरा 57 में जो निष्कर्ष निकाले गए वे इस प्रकार थेः57. उपरोक्त तर्क और चर्चा के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैंः

बी.

(1) कि जब कोई अधिकार प्राप्त अधिकारी या पूर्व सूचना पर कार्य करने वाला विधिवत अधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह संबंधित व्यक्ति को धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत अपने अधिकार के बारे में निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट को सूचित करे।हालाँकि, ऐसी जानकारी आवश्यक रूप से लिखित में नहीं हो सकती है।(2) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में संबंधित व्यक्ति को सूचित करने में विफलता एक आरोपी के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनेगी।

सी.

डी.

(3) कि एक सशक्त अधिकारी द्वारा की गई तलाशी, पूर्व सूचना पर, व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचित किए बिना कि यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसे तलाशी के लिए एक राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा और यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने अपनी तलाशी करने में विफलता, मुकदमे को दूषित नहीं कर सकती है, लेकिन अवैध वस्तु संदिग्ध की बरामदगी को विकृत कर देगी और एक आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को दूषित कर देगी, जहां दोषसिद्धि केवल उसके व्यक्ति से बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर दर्ज की गई है, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान। (हमारे द्वारा अंतर्निहित)

ई.

एफ.

(4) कि वास्तव में समाज को अपराधियों से बचाने की आवश्यकता है।यदि अपराध करने वाले व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है तो सुरक्षा में सामाजिक इरादे को नुकसान होगा क्योंकि उनके खिलाफ सबूत को ऐसा माना जाना चाहिए जैसे कि यह मौजूद नहीं है। इसलिए इसका उत्तर यह है कि जांच एजेंसी को कानून द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का

ईमानदारी से पालन करना चाहिए और ऐसा करने में विफलता को उच्च अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई को गंभीरता से आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि जांच प्राधिकरण की ओर से लापरवाही पर अंकुश लगाया जा सके।हर मामले में अंतिम परिणाम महत्वपूर्ण है लेकिन साधन

जी.

4 [(1999) 6 एस. सी. सी. 172]

एच.

इसे प्राप्त करने के लिए बोर्ड से ऊपर रहना चाहिए।उपचार स्वयं रोग से भी बदतर नहीं हो सकता है।न्यायिक प्रक्रिया की वैधता एक संदेह के घेरे में आ सकती है यदि अदालत को तलाशी अभियानों के दौरान जांच एजेंसी द्वारा की गई अराजकता के कृत्यों को माफ करते हुए देखा जाता है और यह कानून के प्रति सम्मान को भी कम कर सकता है और इसका प्रभाव न्याय के प्रशासन से असहनीय रूप से समझौता करने का हो सकता है।इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।एक अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।एक अनुचित मुकदमे के परिणामस्वरूप एक दोषसिद्धि न्याय की हमारी अवधारणा के विपरीत है।मुकदमे में धारा 50 द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन में एकत्र किए गए साक्ष्य का उपयोग, मुकदमे को अनुचित बना देगा।

बी.

सी.

(5) यह कि धारा 50 में दिए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया है या नहीं, अदालत को मुकदमे में दिए गए साक्ष्य के आधार पर निर्धारित करना होगा।उस मुद्दे पर किसी न किसी तरह से खोज करना, दोषसिद्धि या बरी होने के आदेश को दर्ज करने के लिए प्रासंगिक होगा।अभियोजन पक्ष को मुकदमे में यह स्थापित करने का अवसर दिए बिना कि धारा 50 के प्रावधानों और विशेष रूप से, उसमें प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया था, आपराधिक मुकदमे को कम करने की अनुमति नहीं होगी।

डी.

(6) कि जिस संदर्भ में तलाशी लेने के इच्छुक व्यक्ति के लाभ के लिए धारा 50 में संरक्षण को शामिल किया गया है, हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि क्या धारा 50 के प्रावधान

अनिवार्य या निर्देशिका हैं, लेकिन यह मानते हैं कि धारा 50 की उप-धारा (1) से उत्पन्न होने वाले अपने अधिकार के बारे में संबंधित व्यक्ति को सूचित करने में विफलता, निषिद्ध संदिग्ध की वसूली और अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को कानून में खराब और अस्थिर बना सकती है।

ई.

एफ.

(7) कि अधिनियम की धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान किसी अभियुक्त के व्यक्ति से जब्त की गई अवैध वस्तु का उपयोग अभियुक्त पर अवैध रूप से प्रतिबंधित पदार्थ रखने के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है, हालांकि उस तलाशी के दौरान बरामद की गई किसी भी अन्य सामग्री पर अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य कार्यवाही में किसी अभियुक्त के खिलाफ भरोसा किया जा सकता है, भले ही अवैध तलाशी के दौरान उस सामग्री की बरामदगी हुई हो।

जी.

एच.

529

पंजाब राज्य बनाम बालजिंदर सिंह और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

ए.

(8) अधिनियम की धारा 54 के तहत एक अनुमान केवल तभी उठाया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष यह साबित कर सके कि धारा 50 के अधिदेश के अनुसार की गई तलाशी में आरोपी के पास प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया था।एक अवैध तलाशी अभियोजन पक्ष को अधिनियम की धारा 54 के तहत एक अनुमान लगाने का अधिकार नहीं दे सकती है।

बी.

(9) यह समझा नहीं जा सकता कि पूरन मल मामले [(1974) 1 एस. सी. सी. 345] के फैसले में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि किसी व्यक्ति की तलाशी के दौरान जब्त की गई अवैध वस्तु, पूर्व सूचना पर, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई है, जिसका उपयोग स्वयं उस व्यक्ति पर अवैध वस्तु के गैरकानूनी कब्जे के सबूत के रूप में किया जा सकता है जिससे अवैध तलाशी के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया है।

सी.

(10) यह कि अली मुस्तफा मामले [(1994) 6 एस. सी. सी. 569] में निर्णय पूरन मल मामले [(1974) 1 एस. सी. सी. 345] में निर्णय की सही व्याख्या और अंतर करता है और पिरथी

चंद मामले [(1996) 2 एस. सी. सी. 37] और जसबीर सिंह मामले [(1996) 1 एस. सी. सी. 288] में की गई व्यापक टिप्पणियाँ कानून के सही स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं हैं जैसा कि पूरन मल मामले [(1974) 1 एस. सी. सी. 345] में निर्धारित किया गया है।"

डी.

तत्पश्चात, इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने

वी. विजयसिंह चंदुभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य 5 का एक अवसर था

ई.

इस दृष्टिकोण से मामले पर विचार करने के लिए कि क्या जिस व्यक्ति की तलाशी ली जाने वाली है, उसे उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए कि उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी ली जा सकती है।उक्त प्रश्न पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने बलदेव सिंह के मामले में दिए गए निर्णय पर भी विचार किया और पैराग्राफ 24 और 29 में चर्चा इस प्रकार थीः

एफ.

24. यद्यपि बलदेव सिंह मामले [(1999) 6 एस. सी. सी. 172] में संविधान पीठ ने इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से निर्णय नहीं लिया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 निर्देशिका थी या नहीं या अनिवार्य थी, फिर भी यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 50 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह संबंधित व्यक्ति (संदिग्ध) को अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में "सूचित" करे कि यदि वह ऐसा चाहता है, तो उसकी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली जाएगी; संदिग्ध को उसके अस्तित्व के बारे में "सूचित" करने में विफलता।

जी.

5 [(2011) 1 एससीसी 609]

एच.

उसका उक्त अधिकार उसके लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा, और यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी तलाशी करने में विफलता, मुकदमे को दूषित नहीं कर सकती है, लेकिन अवैध वस्तु संदिग्ध की बरामदगी

को विकृत कर देगी और एक आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को दूषित कर देगी, जहां दोषसिद्धि केवल अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर दर्ज की गई है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान व्यक्ति से बरामद की गई है। अदालत ने यह भी कहा कि यह आवश्यक नहीं था कि धारा 50 के तहत दी जाने वाली जानकारी निर्धारित प्रपत्र में या लिखित रूप में होनी चाहिए, लेकिन यह अनिवार्य था कि संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में जागरूक किया जाए, यदि वह ऐसा चाहता है।हम सम्मानपूर्वक इन निष्कर्षों से सहमत हैं।प्रावधान की कोई भी अन्य व्याख्या संदिग्ध को दिए गए मूल्यवान अधिकार को भ्रम और प्रहसन बना देगी।

बी.

सी.

…

…

…

डी.

29. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी दृढ़ राय है कि जिस उद्देश्य के साथ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 (1) के तहत अधिकार, सुरक्षा के रूप में, संदिग्ध को प्रदान किया गया है, अर्थात शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान से बचने के लिए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा झूठे मामले लगाने या थोपने के आरोपों को कम करने के लिए, अधिकार प्राप्त अधिकारी की ओर से यह अनिवार्य होगा कि वह उस व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार से अवगत कराए।हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि जहां तक एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी के दायित्व का संबंध है, यह अनिवार्य है और इसके सख्त अनुपालन की आवश्यकता है।प्रावधान का पालन करने में विफलता अवैध वस्तु की बरामदगी को संदिग्ध बना देगी और दोषसिद्धि को दूषित कर देगी यदि ऐसी तलाशी के दौरान केवल आरोपी व्यक्ति से अवैध वस्तु की बरामदगी के आधार पर दर्ज किया जाता है।इसके बाद, संदिग्ध उक्त प्रावधान के तहत उसे दिए गए अधिकार का प्रयोग करने का विकल्प चुन सकता है या नहीं भी।" (हमारे द्वारा अंतर्निहित)

ई.

एफ.

जी.

14. इस प्रकार कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि व्यक्तिगत तलाशी के दौरान व्यक्ति से जब्त की गई एक अवैध वस्तु सुरक्षित-ए का उल्लंघन करती है।

एच.

531

पंजाब राज्य बनाम बालजिंदर सिंह और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

अधिनियम की धारा 50 में प्रदान किए गए गार्ड का उपयोग अपने आप में कॉन्ट्रा-बैंड के गैरकानूनी कब्जे के प्रमाण के स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।लेकिन सवाल यह है कि क्या अनुसंधान के दौरान कोई अन्य सामग्री या वस्तु बरामद हुई है, क्या व्यक्तिगत खोज के संबंध में उल्लंघन अन्य भौतिक परिस्थितियों के गुणात्मक मूल्य को भी प्रभावित करेगा।

बी.

15. इस स्तर पर हम अजमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय से निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी विचार कर सकते हैं।- "15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि व्यक्ति द्वारा ले जाए गए थैले, ब्रीफकेस आदि की तलाशी लेते समय अधिनियम की धारा 50 का प्रावधान भी लागू होगा और इसका गैर-अनुपालन अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के लिए घातक होगा। हम विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन या गैर-अनुपालन का प्रश्न केवल वहीं प्रासंगिक है जहां किसी व्यक्ति की तलाशी शामिल है और उक्त धारा लागू नहीं होती है और न ही आकर्षित होती है जहां किसी व्यक्ति की कोई तलाशी शामिल नहीं है।बैग, ब्रीफकेस, कंटेनर आदि से तलाशी और बरामदगी एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के दायरे में नहीं आती है, क्योंकि सबसे पहले, धारा 50 स्पष्ट रूप से केवल व्यक्ति की तलाशी की बात करती है।दूसरा, यह धारा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी के उद्देश्य से तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को ले जाने की बात करती है।तीसरा, मदन लाल बनाम एच. पी. राज्य [(2003) 7 एस. सी. सी. 465] में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए हमारी सुविचारित राय में यह मुद्दा अब समग्र नहीं है।न्यायालय ने कहा है:(एस. सी. सी. पी. 471, पैरा 16)

सी.

डी.

ई.

एफ.

“16. धारा 50 को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज के मामले में लागू होता है।इसका विस्तार किसी वाहन या पात्र या थैले या परिसर की तलाशी तक नहीं है (देखें कलेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1999) 8 एस. सी. सी. 257], पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह [(1999) 6 एस. सी. सी. 172] और गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य [(2001) 3 एस. सी. सी. 28])।धारा 50 की भाषा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि तलाशी परिसर, वाहनों या वस्तुओं की तलाशी के विपरीत किसी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए।इस स्थिति को बलदेव सिंह मामले 1 में संविधान पीठ द्वारा संदेह से परे सुलझा लिया गया था।स्थिति होने के ऊपर, विवाद

जी.

6 [(2010) 3 एससीसी 746]

एच.

अधिनियम की धारा 50 के गैर-अनुपालन के संबंध में भी कोई सार नहीं है।”

16. जहां तक अधिनियम की धारा 50 के तहत आवश्यकताओं की प्रयोज्यता का संबंध है, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अधिनियम की धारा 50 का अधिदेश "व्यक्तिगत तलाशी" तक सीमित है और किसी वाहन या पात्र या परिसर की तलाशी के लिए नहीं है।

बी.

17. संविधान पीठ द्वारा बलदेव सिंह में अपने फैसले के पैरा 57 में दर्ज किए गए निष्कर्ष (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोषसिद्धि अधिनियम की धारा 50 के तहत आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत तलाशी से बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर "केवल" नहीं हो सकती है, लेकिन यदि रिकॉर्ड पर अन्य सबूत हैं, तो ऐसी सामग्री पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है।

सी.

तत्काल मामले में, अभियुक्त की व्यक्तिगत खोज के परिणामस्वरूप कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ।भले ही ऐसी कोई वसूली हुई हो, लेकिन अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताओं के अनुपालन के अभाव के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन वाहन की तलाशी और उसके अनुसार प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी साबित हो गई, केवल इसलिए कि जहां तक "व्यक्तिगत तलाशी" का संबंध है, अधिनियम की धारा 50

का पालन नहीं किया गया था, कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है ताकि वाहन की तलाशी से बरामदगी के प्रभाव को अमान्य किया जा सके।ऐसा कोई भी विचार सीधे निष्कर्ष (3) में होगा जैसा कि ऊपर कहा गया है।18. हालाँकि, दिलीप के मामले में इस न्यायालय के निर्णय ने उस भेद को स्वीकार नहीं किया है जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है और वाहन से वसूली के संबंध में भी अभियुक्त को लाभ प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा है, इस आधार पर कि व्यक्तिगत तलाशी से संबंधित धारा 50 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था।हमारे विचार में, दिलीप के मामले में उक्त फैसले में इस अदालत का निर्णय सही नहीं है और बलदेव सिंह और अन्य फैसलों में इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ है।19. चूंकि वर्तमान मामले में, 34 किलोग्राम वजन वाले खसखस के भूसे के सात थैले वाहन से पाए गए थे, जिसे आरोपी-बलविंदर सिंह अपने साथ अन्य अभियुक्तों के साथ चला रहा था, इसलिए उनकी उपस्थिति और प्रतिबंधित सामग्री का कब्जा पूरी तरह से साबित हो गया था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

20. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया बरी होना, हमारे सुविचारित विचार में, सही नहीं था।इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को दरकिनार करते हैं।

एच.

ए.

इस अपील को स्वीकार करते हुए, हम निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के आदेश को बहाल करते हैं और आरोपी हरजिंदर सिंह और खुशी खान को अधिनियम की धारा 50 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराते हैं। हालाँकि, हम उनकी मूल सजा को 12 साल से घटाकर 10 साल कर देते हैं, जबकि सजा की अन्य घटनाओं, जैसे कि जुर्माने का भुगतान और डिफ़ॉल्ट सजा को अपरिवर्तित रखते हैं।

बी.

अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी गई है।

21. दोनों अभियुक्तों को शेष सजा भुगतने के लिए संबंधित पुलिस थाने के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए 15 नवंबर, 2019 तक का समय दिया गया है।यदि अभियुक्त

उक्त अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा हिरासत में ले लिया जाएगा।इस फैसले की एक प्रति अनुपालन के लिए संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी।उस ओर से अनुपालन की सूचना इस न्यायालय को 01.12.2019 पर या उससे पहले दी जाएगी।

सी.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.